(राजस्व वाद संख्या :— 238/2024 अनवान राजाराम वगैरा बनाम श्योचन्द वगैरा)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—238/2024

1. राजा राम
2. संदीप कुमार

| पिसरान श्योचन्द राम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

——वादीगण

—:बनाम:—

1. श्योचन्द राम पुत्र जस्सूराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विमला पुत्री श्योचन्द राम पत्नी सुखराज जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राममूर्ति पुत्री श्योचन्द राम पत्नी सहीराम जाति मेघवाल साकिन रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. समेस्ता पुत्री श्योचन्द राम पत्नी जयचन्द जाति मेघवाल साकिन 6 एसपीएम गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 45 एनडीआर के खाता सं. 64/53 के प.नं. 68/338 (13) किला नं. 14 ता 17, 21/2, 22/2, 23 ता 25, प.नं. 68/339 (24) किला नं. 1/1, 2 ता 8, 9/1 की कुल 4.216 हैक्ट. कमांड अनकमांड खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण को प्रत्येक 1/3—1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/11/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा